



रजिस्टर्ड/सीलड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-175/2026/3029/22-2-2023-17(746)/2023

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी महबूब (बन्दी सं0-27763) पुत्र श्री जुम्मन, बरौली, थाना-देवराहट, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-07/1999, में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 04.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2022 तक अपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 08 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-175/2026/3029(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।